>

Title: Regarding reservation policy for SC, ST and OBC in super-speciality course in the country

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। दलित समाज से संबंधित अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको अभी तक सही ढंग से एड्रेस नहीं किया गया। आदरणीय शरद यादव जी ने उसके बारे में विस्तार से बताया है कि किस तरीके से एम्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसमें उन्होंने कहा कि सुपर-स्पेशियलिटी में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। डीओपीटी का इतिहास है कि जब भी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति-ओबीसी के खिलाफ कोई आदेश होता है, उसको तत्काल लागू कर देते हैं और जो निर्णय उनके पक्ष में होता है, उसको दबाकर बैठ जाते हैं। मैं समझता हूं कि डीओपीटी में ऐसे अधिकारियों को तैनात करना चाहिए जिनको थोड़ी-बहुत हमदर्दी हो। जो आदेश जारी किया गया है कि वर्ष 1975 में जो आदेश दिया था, उसके हिसाब से डिरिजर्वेशन करने का प्रस्ताव दिया जाए, वह पूरी तरह से गलत है। यहां तक कि जस्टिस अल्तमश कबीर ने एम्स के मामले में आदेश जारी किया था, यह उसके भी खिलाफ है। उसके अनुसार भी यह वह रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इन्होंने आदेश जारी किया है। उस आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और जैसा यहां पार्लियामेंट में तय हुआ था, आदरणीय शरद यादव जी ने उठाया था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने उठाया था और मैंने भी कहा था, उस समय न्याय एवं विधि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि हम रिव्यू पेटीशन करके इस आदेश को समाप्त करा लेंगे, आपको कठिनाई नहीं होगी, पूर्व जैसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन वह कोरा आश्वासन था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई करने की बजाए उस निर्णय के हिसाब से डीओपीटी ने आदेश जारी कर दिए। इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। यह बहुत गलत बात है।

दूसरे अन्य इश्यूज हैं, रिजर्वेशन बिल है, कब से पेंडिंग है। राज्य सभा में वर्ष 2008 में पास होकर यहां आया, कुछ संशोधनों के साथ उसे पास होना था, संशोधन भी हो गए, किसी को एतराज नहीं है, उस पर सर्वसम्मति है, फिर भी उसको यहां पर न तो एजेंडा में लाया गया, न पास कराया गया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का संविधान में प्रावधान है।

-

14.22 hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो प्रस्तावित आदेश है, प्रस्तावित संविधान संशोधन है, उसके हिसाब से भी कोई बाइंडिंग नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया : वह उन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिकृत करता है कि जो इस रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लागू करना चाहते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What is the matter? You have not given any notice. Give me a notice.

...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I do not know your matter.

...(*Interruptions*)

श्री पन्ना लाल पुनिया : इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू नहीं करना चाहते, तो लागू न करेंगे, वहां की जनता फिर देखेगी, जब जनता का विश्वास लेने जाएंगे, उनसे मत लेने जाएंगे, तो उस समय जनता देखेगी। तीसरा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री गोपीनाथ मुंडे जी, आप बोलिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज वर्ष 1988-89 का आदेश है, उसमें संशोधन प्रस्तावित है, वह संशोधन तैयार है, कैबिनेट से पास हो चुका है, फिर भी पता नहीं क्यों लोक सभा में नहीं लाया जा रहा है?...(व्यवधान) फिर उसके बाद स्पेशल कंपोनेंट प्लान...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया : स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान का भी कानून बनना है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। मुंडे जी, आप बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Gopinath Munde says.

*(Interruptions) â€¦ **

14.24 hrs.

At this stage, Shri Arjun Roy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। जहां तक डीओपीटी का सवाल है, बीजेपी भी ओबीसी और शिडयूल्ड कास्ट के लिए आरक्षण के पक्ष में है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमने मूल आरक्षण में एक्सटेंशन किया था और ओबीसी की जनगणना का विषय भी पार्लियामेंट में हमने उपस्थित किया था। हमारी पार्टी - भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पिछड़े हुए वर्गों के पक्ष में है। इतना ही नहीं हम पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं। इसलिए जहां तक जनगणना का सवाल है, उसकी चर्चा इस सदन में मैंने शुरू की थी, बीजेपी के सदस्य के नाते मैंने बोला था। आपने जनगणना का वादा पूरा नहीं किया। आपने आरक्षण के बारे में जनगणना करने का वादा था, उसे पूरा नहीं किया, जबकि उस समय सारे सदन ने, कांग्रेस पार्टी के लोग भी खड़े हुए थे, इस तरह सभी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन ओबीसी के लोगों की जनगणना नहीं की गई। वह क्यों नहीं की गई, यह भी बताएं? दूसरा वादा किया गया था कि जो प्रोन्नति में आरक्षण है, उसके बारे में सरकार पहल करेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन वह वादा भी पूरा नहीं हुआ। आपके डीओपीटी के आदेश को वापस लेने के फैसले की घोषणा सदन में करनी चाहिए। मैं यादव जी से कहना चाहता हूं कि सुषमा जी हों या भारतीय जनता पार्टी हो, हम सब पिछड़े वर्गों के हितों की भलाई के पक्ष में हैं और गरीबों के पक्ष में हैं। लेकिन आप जो उंगली उठाकर बता रहे थे, वह ठीक नहीं है। हमने हर समय मांग की है और ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के लिए सरकार के साथ लड़े हैं। हम कहना चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सरकार कतराती है, बीजेपी नहीं। इसलिए आप सरकार पर हमला करें, हम पर नहीं। आप तलवार उधर चलाएं, इधर नहीं। हम कभी साथ-साथ थे और भविष्य में क्या होगा, मालूम नहीं है। आपने बहुत साल सुषमा जी के साथ और बीजेपी के साथ काम किया है इसलिए आप उन आरोप न लगाएं। इसलिए मैं सदन को और देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के पक्ष में है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग पहले बैठ जाएं और अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

14.27 hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): कपिल सिब्बल जी आ गए हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए।...(व्यवधान) उन्हें चाहिए कि सरकार इस आर्डर को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मत जाए। सरकार क्या चाहती है यह बताएं।

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, मंत्री जी कहना चाहते हैं, आप उनकी बात तो सुन लें।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): हमने उस समय भी सदन में कहा था कि हमारी नीति रिजर्वेशन के प्रति जो है, आगे भी रहेगी।...(व्यवधान) आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हमने रिव्यू पीटिशन सुप्रीम कोर्ट में दी थी। जब रिव्यू पीटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली तो कांस्टीट्यूशन बैंच ने उसकी ओरल हियरिंग की और ओरल हियरिंग करने के बाद उन्होंने यह फैसला किया, वह मैं बताना चाहता हूं।

> "Heard Shri L.N. Rao, learned Additional Solicitor General. We clarify that it is for the Central Government to take a decision as to whether there should be reservation for super specialty course."

That means that the Constitution Bench judgment which directed us not to have reservation in super specialty course was set aside. This is also a Constitution Bench judgment. Five judges have not agreed with what was said previously. Our policy on reservation in super specialty courses remains. It was always so, it will continue to be so.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, in view of the hon. Law Minister's observation before this august House – that the Supreme Court has allowed the Review Petition saying that it is for the Government to decide, I would like to say that our Government's commitment is that in super-specialty courses, there will be reservation – that is our Government's policy; and we will go by the Supreme Court's decision. ...(*Interruptions*)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा):कोई आर्डर नहीं निकाला।...(व्यवधान)

14.28 hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.